DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

The 14th February, 1984

No. 621-1ECDI-84/1065.—The Governor of Haryana is pleased to withdraw para 2 of the Notification dated 12th October, 1983, issued,—*vide* this Department Endst. No. 5035-1ECDI-83/7667, dated 31st October, 1983 and the following condition thereby imposed on the retirement of Shri R. K. Mohan, Joint Director Development, Haryana is deleted :—

"The retirement of Shri R. K. Mohan is without prejudice to the final outcome of the charges levelled against him by the Home Department."

Dated the 31st January, 1984.

J. D. GUPTA,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayat Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 13 फरवरी, 1984

क्रमांक **86-ज-(II)-84/3845.**—श्री सांवल राम, पुत्र श्री बिल्ल सुख, गांव श्यामलयाणा, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 21 मार्च, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सांवल राम की मुश्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1837-ज-I-77/29633, दिनांक 24 नवम्बर, 1977 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राज कौर के नाम खरीफ 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **88-ज(II)-84/3849.**—श्री जगराम, पुत्र श्री अमी लाल, गांव नीमली, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 4 जनवरी, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जग राम की मुश्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2540-आर-4-67/2475-ए, दिनांक 25 जुलाई, 1967, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भरमो देवी के नाम खरीफ 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **74-ज-(II)-84/3859.**—श्री मुकन्द सिंह, पुत्र श्री राम सिंह, गांव रानीलावास, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 30 जुलाई, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुकन्द सिंह को मुश्लिग 300 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3825-जे.एन.-III-66/6850, दिनांक 22 अप्रैल, 1966 अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती अतराबाई, के नाम रबी, 1983 से 300 रुपये की वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।